प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(25) पिलानी (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करती हूँ कि —

श्री जे.पी. चन्देलिया

बी—32 मालवीय नगर, जयपुर, हाल वार्ड नं. 26, बाई पास के पास, पिलानी रोड़ चिड़ावा, झुंझुनूं

इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान :- झुंझुनूं तारीख :- 11 दिसम्बर, 2018

(अर्पिता सोनी) (अर्पिता सोनी) रिटर्निंग अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (25) पिलानी (अजा) (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा)

> (अर्थिता बोली) रिटर्निंग अंटिकारी विद्यामसमा निर्वाधन ७३ वे.आनी (025) रिकसम्ब अधिकारों एवं उम्म्ख्यः गतंबस्त्रेण ।चेड्रामा)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from 25 PILANI (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI J.P. CHANDELIA

B-32 MALVIYA NAGAR JAIPUR AT PRESENT- WARD NO. 26,

NEAR BYPASS, PILANI ROAD CHIRAWA, JHUNJHUNU

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Jhunjhunu

Date – 11, DECEMBER 2018

(ARPITA SONI)

Returning Officer

Assembly Constituency (25) Pilani (SC) (Sub Divisional Officer & Sub Divisional

Magistrate Chirawa) (Ante Sont)

Divisional live